संख्याः 6/1998/बीस-13-वि-2014-4(विविध)/13

प्रेषक,

अरविन्द नारायण मिश्र,
सचिव,
सचिवालय प्रशासन विभाग।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सचिवालय प्रशासन अनुभाग-13(विविध) लखनऊ, दिनांक 18 सितम्बर, 2014

विषय : शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने की नवीन व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-419/बीस-13-वि-2014-4(विविध)/13, दिनांक 18 फरवरी, 2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास हेतु शासन के एजेण्डा वर्ष 2013-14 में निर्धारित सूत्र संख्या-166 (जो शासन के वर्तमान एजेण्डा वर्ष 2014-15 में सूत्र संख्या-202 के रूप में निर्धारित है) के अन्तर्गत शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत करने एवं इन्टरनेट पर अपलोड करने की व्यवस्था को दिनांक 17 फरवरी, 2014 से उत्तर प्रदेश सचिवालय के सभी विभागों में लागू किया गया है।

2. उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18 फरवरी, 2014 में उल्लेख है कि विभागों द्वारा जारी होने वाले शासनादेश वेबसाइट "http://shasanadesh.up.nic.in" पर देखे जा सकते हैं और दिनांक 01 मार्च, 2014 के उपरान्त किसी भी शासनादेश को वैध तभी माना जाएगा जब वह इस वेबसाइट पर उपलब्ध हो।

3. उल्लेखनीय है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या:1102/बीस-13-वि-2014-4(विविध)/13, दिनांक 07 मई, 2014 द्वारा ऑनलाइन निर्गत किये जाने वाले शासनादेश के विषय बिन्दुओं की सूची का निर्धारण भी किया गया है तथा शासनादेश संख्या-1/1486/13-वि-2014-4(विविध)/13, दिनांक 07 जुलाई, 2014 द्वारा ऑनलाइन शासनादेश निर्गत किये जाने व इण्टरनेट पर अपलोड किये जाने की योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु विभाग में इस योजना का नियमित रूप से अनुश्रवण करते रहने के निर्देश निर्गत किये गये हैं, परन्तु सचिवालय प्रशासन विभाग स्तर पर प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में की गई समीक्षा बैठकों में यह पाया गया है कि अधिकांश विभागों द्वारा उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 मई, 2014 से आच्छादित सभी शासनादेशों को ऑनलाइन निर्गत नहीं किया गया है।

4. चूँकि उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18 फरवरी, 2014 में स्पष्ट रूप से व्यवस्था निर्धारित की गई है कि दिनांक 01 मार्च, 2014 के उपरान्त जारी शासनादेशों को तभी वैध

http://shasanadesh.up.nic.in

माना जाएगा जब वह शासनादेश वेबसाइट “http://shasanadesh.up.nic.in” पर उपलब्ध हो, अत: दिनांक 01 मार्च, 2014 के उपरान्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 मई, 2014 में निर्धारित विषय बिन्दुओं से सम्बन्धित जारी ऐसे सभी आदेशों, जो कि वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी नहीं किये गये हैं, की वैधता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी आदेश स्कैन कर वेबसाइट “http://esangrah.up.nic.in’’ पर अपलोड करा दिए जायें, जिसे ऑनलाइन शासनादेश की वेबसाइट “http://shasanadesh.up.nic.in” से लिंक कर दिया गया है।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त लिए गए निर्णयानुसार वॉछित कार्यवाही दिनांक 30 सितम्बर, 2014 तक पूर्ण कराते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 मई, 2014 में निर्धारित विषय बिन्दुओं से सम्बन्धित सभी आदेश वेबसाइट पर ऑनलाइन ही जारी किये जायें।

भवदीय,

(अरविन्द नारायण मिश्र)
सचिव।

संख्या-6/1998/बीस-13-वि-2014-4(विविध)/13, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अनुभाग अधिकारी, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
2. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, योजना भवन, लखनऊ।
3. तकनीकी सलाहकार, सचिवालय प्रशासन विभाग।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी. के. सिंह)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in